

07-1-22 पत्रावली पेश हुई । वकील वादी मूल काउ
 स्वरिज वी - युका है । अतः न. 1 प्रार्थना-पत्र
 की आगे-चलाने का कोई आधार नहीं है ।
 अतः न. 1 प्रार्थना-पत्र स्वरिज छिपा जाता है ।
 पत्रावली के सब मुद्दा वीका दफतर दखित
 हैं । आदेश मुले - मामालय में सुनाया
 गया ।

